ईदगाह आने वाले के लिये क्या धर्म संगत है ?

[*हिन्दी* - Hindi - هندي]

शैख़ अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह बिन बाज रहिमहुल्लाह

अनुवादः अताउर्रहमान ज़ियाउल्लाह

2011 - 1432

IslamHouse.com

﴿ ما يشرع لمن أتى مصلى العيد ﴾

« باللغة الهندية »

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله

ترجمة: عطاء الرحمن ضياء الله

2011 - 1432

IslamHouse.com

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

मैं अति मेहरबान और दयालु अल्लाह के नाम से आरम्भ करता हूँ।

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وبعد:

हर प्रकार की हम्द व सना (प्रशंसा और गुणगान) अल्लाह के लिए योग्य है, हम उसी की प्रशंसा करते हैं, उसी से मदद मांगते और उसी से क्षमा याचना करते हैं, तथा हम अपने नफ्स की बुराई और अपने बुरे कामों से अल्लाह की पनाह में आते हैं, जिसे अल्लाह तआला हिदायत दे दे उसे कोई पथभ्रष्ट (गुमराह) करने वाला नहीं, और जिसे गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं। हम्द व सना के बाद :

ईदगाह आने वाले के लिये क्या धर्म संगत है ?

प्रश्नः

मैं ने देखा है कि कुछ लोग जब ईद की नमाज़ के लिए आते हैं तो दो रक्अत नमाज़ पढ़ते हैं, जबकि कुछ लोग तक्बीर

''अल्लाहु अक्बर, अल्लाहु अक्बर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अक्बर, अल्लाहु अक्बर, व लिल्लाहिल हम्द'' (अल्लाह बहुत महान है, अल्लाह बहुत महान है, अल्लाह के सिवा कोई वास्तविक पूज्य नहीं, अल्लाह बहुत महान है, अल्लाह बहुत महान है, और हर प्रकार की प्रशंसा केवल अल्लाह के लिए योग्य है) कहने में व्यस्त हो जाते हैं। महोदय से आशा करता हूँ कि इन चीज़ों के बारे में शरीअत के हुक्म (नियम) को स्पष्ट करेंगे, और क्या ईद की नमाज़ के मस्जिद में होने या ईदगह में होने के बीच कोई अंतर है ?

उत्तरः

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह के लिए योग्य है।

ईद या इस्तिस्क़ा (वर्षा मांगने) की नमाज़ के लिए ईदगाह आने वाले व्यक्ति के लिए सुन्नत यह है कि वह बैठ जाए और तहिय्यतुल मस्जिद न पढ़े, क्योंकि जहाँ तक हम जानते हैं यह चीज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम या आप के सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम से वर्णित नहीं है, सिवाय इसके कि वह नमाज़ मस्जिद में पढ़ी जा रही हो, तो ऐसी स्थिति में वह

तहिय्यतुल मस्जिद पढ़ेगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इस सामान्य फरमान के कारण कि :

« إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» متفق على صحته.

''जब तुम में से कोई व्यक्ति मस्जिद में प्रवेश करे तो न बैठे यहाँ तक कि दो रकअत नमाज़ पढ़ ले।''[1] बुखारी और मुस्लिम इस हदीस की प्रामाणिकता पर सहमत हैं।

तथा जो व्यक्ति बैठकर ईद की नमाज़ की प्रतीक्षा कर रहा है उसके लिए धर्मसंगत यह है कि वह अधिक से अधिक तह्लील व तक्बीर (ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाहु अक्बर) पढ़े, क्योंकि यही उस दिन का प्रतीक है, और यही सभी लोगों के लिए मस्जिद में और उसके बाहर सुन्नत है

[1] इसे इमाम अहमद ने (मुसनदुल अंसार) में अबू क़तादा अंसारी की हदीस संख्या (22146) से रिवायत किया है, तथा बुखारी ने (किताबुस्सलात) बाब मा जाआ फित्–ततव्वोए मस्ना मस्ना (हदीस संख्या : 1167), मुस्लिम (सलातुल मुसाफिरीन) बाब इस्तेहबाबो तहिय्यतिल मस्जिद (हदीस संख्या : 714)

यहाँ तक कि खुत्बा समाप्त हो जाए। और जो व्यक्ति कुर्आन पढ़ने में व्यस्त रहे तो कोई आपत्ति की बात नहीं है। और अल्लाह तआला ही तौफीक़ प्रदान करने वाला है।

आदरणीय शैख अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह बिन बाज़ रहिमहुल्लाह की किताब ''मजमूओ फतावा व मक़ालात मुतनौविअह'' 13/13.